

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-1/2017/38-2 (पार्ट).— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

भाग-एक : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 कहलायेंगे।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005);
 - (ख) “मुख्य परिसर” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ में स्थित निजी विश्वविद्यालयों का मुख्य परिसर, जिनके न्यूनतम पांच विश्वविद्यालयीन के शिक्षण विभाग अथवा अध्ययन शालाएँ हो और जहाँ कुलपति एवं कुलसचिव निवास करते हों तथा विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय भी स्थित हो;
 - (ग) “दूर-परिसर केन्द्र” से अभिप्रेत है निजी विश्वविद्यालय का केन्द्र, जो मुख्य परिसर से बाहर स्थापित हो, किन्तु राज्य के भीतर हो, जिसका संचालन एवं संधारण इसकी (विश्वविद्यालय की) घटक इकाई के रूप में होता हो;
 - (घ) “निजी विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित एवं निगमित निजी विश्वविद्यालय;
 - (ङ) “विनियामक निकाय” से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मानदण्ड एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिये केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्र अथवा राज्य विनियामक

निकाय;

- (च) "विनियामक आयोग" से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग;
- (छ) "नियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005;
- (ज) "अध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्रणा या किसी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में स्थापित तथा संचालित केन्द्र, जो किसी दो या दो से अधिक संचार माध्यमों जैसे रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और इसी प्रकार की किसी अन्य पद्धति के संयोजन से शिक्षा प्रदान करता है।
- (2) शब्द या अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

भाग-दो : दूर-परिसर केन्द्र

3. **स्थापना और संचालन.**— (1) मुख्य परिसर की स्थापना एवं विकास के पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना के लिए इच्छुक निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग को अनुलग्नक-क में आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रायोजक निकाय, दूर-परिसर केन्द्र स्थापित करने का संकल्प पारित करेगा तथा आवेदन पत्र में कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।
- (3) आवेदन के साथ रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) का आवेदन शुल्क क्रास किये गये एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट के माध्यम से "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम पर भेजा जायेगा और रायपुर में भुगतान योग्य होगा।
4. **दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना हेतु शर्तें.**— (1) विश्वविद्यालय निम्नानुसार भूमि प्राप्त करेगा:—
- (क) 1.5 एकड़ भूमि, यदि रायपुर जिले के नगर निगम की सीमा के अन्दर दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित हो।
- (ख) 2.5 एकड़ भूमि, यदि किसी अन्य स्थान में दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित हो।
- (2) वह प्रशासकीय तथा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए न्यूनतम 10,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध करायेगा।
- (3) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा समय समय पर विहित नियमों तथा शर्तों का पालन करेगा।
5. **प्रस्ताव का मूल्यांकन.**— (1) विनियामक आयोग, दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यथा उल्लिखित तथ्यों के संबंध में ऐसी जांच करेगा, जैसा कि आवश्यक समझे।
- (2) प्रस्ताव/आवेदन पत्र का मूल्यांकन करते समय, विनियामक आयोग निम्नलिखित बातों को विचार में रखेगा :—
- (क) जहां दूर-परिसर केन्द्र प्रस्तावित है, वहां शिक्षा और शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का योगदान।
- (ख) यथोचित संसाधनों की व्यवस्था।
6. **आशय पत्र.**— नियम 5 में यथा उपबंधित जांच और मूल्यांकन के पश्चात्, यदि विनियामक आयोग संतुष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालय को, दूर-परिसर केन्द्र स्थापित करने का अधिकार दिया जा सकता है, तो विनियामक आयोग, राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय को दूर-परिसर केन्द्र स्थापित करने का आशय पत्र जारी कर सकेगा।
7. **पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुति.**— (1) विश्वविद्यालय, आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की कालावधि के भीतर सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करेगा।
- (2) विश्वविद्यालय, पालन प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित शुल्क विनियामक आयोग में प्रस्तुत करेगा:—
- (क) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में दूर-परिसर केन्द्र स्थापित किये जाने की स्थिति में, रुपये पांच लाख।
- (ख) अन्य प्रकरण में, रुपये दस लाख।
8. **पालन प्रतिवेदन का सत्यापन तथा निरीक्षण.**— (1) नियम 7 के प्रावधान के अनुसार पालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात्, विनियामक आयोग, एक समिति का गठन करेगा, जो तथ्यात्मक आंकड़ों की जांच करेगी, जिसमें स्थल

निरीक्षण भी सम्मिलित होगा।

- (2) विनियामक आयोग, उप-धारा (1) के अधीन पालन प्रतिवेदन के परीक्षण के पश्चात्, इसमें कोई कमी पाता है, तो वह विश्वविद्यालय को शीघ्रातिशीघ्र चिन्हांकित कमियों को दूर करने का निर्देश दे सकेगा।
- (3) चिन्हांकित कमियों को दूर करने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात्, निरीक्षण समिति, अपनी अनुशंसा विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगी।

9. स्थापना संबंधी अधिसूचना.— विनियामक आयोग, यदि निरीक्षण समिति की अनुशंसा से संतुष्ट हो तो, दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना संबंधी अधिसूचना राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से जारी कर सकेगा।

10. शुल्क की राशि के संबंध में.— निजी विश्वविद्यालय, उक्त नियम के नियम 9 का पालन सुनिश्चित करेगा।

11. कतिपय परिस्थितियों में विनियामक आयोग की विशेष शक्तियां.— (1) दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना के पश्चात्, यदि विनियामक आयोग को यह प्रतीत होता है कि दूर-परिसर केन्द्र का संचालन, अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमन के अनुसार नहीं हो रहा है अथवा वित्तीय कुप्रबंधन तथा कुशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, तो वह ऐसे निजी विश्वविद्यालय को 45 दिनों का कारण बताओ सूचना इस आशय का जारी करेगा कि क्यों न दूर-परिसर केन्द्र स्थापना संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने का आदेश प्रसारित किया जाये।

- (2) यदि विनियामक आयोग, इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन जारी सूचना के संबंध में निजी विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर संतुष्ट हो जाता है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, कुप्रबंधन, कुप्रशासन या अधिनियम के किसी उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी उपबंधों या इसके अधीन जारी किये गये निर्देशों का उल्लंघन का है, तो वह ऐसी जांच के लिये आदेश कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- (3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, यदि विनियामक आयोग संतुष्ट होता है कि वित्तीय कुप्रबंधन और कुशासन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि दूर-परिसर केन्द्र का संचालन कर पाना सुरक्षित नहीं है, तो वह दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना की अधिसूचना को निरस्त कर सकेगा।
- (4) दूर-परिसर केन्द्र में संचालित पाठ्यक्रमों को, इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन जारी आदेश के अनुसार मुख्य परिसर में स्थानांतरित किया जायेगा।
- (5) इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन जारी आदेश के विरुद्ध अपील, कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा तथा अपील पर कुलाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

12. विनियामक आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही का नियमन.— इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व विनियामक आयोग द्वारा कोई अनुमति अथवा आदेश जारी किया गया हो, तो इन नियमों के अधीन कोई अनुमति अथवा आदेश जारी किया गया समझा जायेगा:

परन्तु यह कि संबंधित विश्वविद्यालय को नियम 4 एवं नियम 7 के उप-नियम (2) में उल्लिखित उपबंधों का अनुपालन विनियामक आयोग द्वारा विहित समय सीमा के भीतर करना होगा:

परन्तु यह और कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम परन्तुक में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता हो, तो विनियामक आयोग विद्यमान दूर-परिसर केन्द्र को बंद करने का आदेश पारित कर सकेगा।

भाग— तीन : अध्ययन केन्द्र

13. अध्ययन केन्द्र की स्थापना.— (1) दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन केन्द्र की स्थापना निजी विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकेगी।

- (2) निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में यथा विहित दूरस्थ शिक्षा के संचालन हेतु अनुमति प्राप्त कर सकेगा।
- (3) निजी विश्वविद्यालय, इस नियम के उप-नियम (2) में यथा निर्दिष्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, विनियामक आयोग से अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्राप्त कर सकेगा।
- (4) निजी विश्वविद्यालय, प्रत्येक अध्ययन केन्द्र के लिए रुपये 50,000/— (रुपये पचास हजार) की दर से प्रतिवर्ष विनियामक आयोग में शुल्क जमा करेगा।
- (5) निजी विश्वविद्यालय, इन नियमों के नियम 10 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

14. उपाधि, पत्रोपाधि एवं प्रमाणपत्रों के संबंध में.— (1) निजी विश्वविद्यालय केवल उन्हीं उपाधियों, पत्रोपाधियों एवं प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा, जिनके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की जा चुकी हो।

- (2) निजी विश्वविद्यालय, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के खण्ड (ड) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भाग-चार : विविध

15. नियमों का शिथिलीकरण.— ऐसे प्रकरण, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हों, पर राज्य शासन विनियामक आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्णय ले सकेगा, जो कि साम्य के सिद्धान्त द्वारा समर्थित होगा।

16. विधान मण्डल के पटल पर नियमों का रखा जाना.— इन नियमों को इनके बनाये जाने या जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी.एल.सांकला, उप-सचिव.

अनुलग्नक-क

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,

रायपुर, छत्तीसगढ़

- (1) विश्वविद्यालय का नाम, पता, फैंक्स एवं ई-मेल सहित:
- (2) विश्वविद्यालय की स्थापना की अधिसूचना की छायाप्रति:
- (3) विश्वविद्यालय के दूर-परिसर का पूरा पता, जहाँ दूर-परिसर केन्द्र स्थापित किया जाना है:
- (4) क्या विश्वविद्यालय का प्रस्तावित दूर-परिसर केन्द्र, रायपुर नगर निगम की सीमा के भीतर स्थापित है? यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र:
- (5) दूर-परिसर केन्द्र के उपयोग के लिए भूमि के विषय में विवरण:

1.	भूमि का स्वामित्व अथवा लीज (आवश्यक प्रमाण के साथ)	
2.	भूमि का क्षेत्रफल	
3.	भूमि, किससे अर्जित की जायेगी	
4.	भूमि अर्जित करने हेतु वित्तीय व्यवस्था	

- (6) दूर-परिसर केन्द्र प्रारंभ होने के पूर्व, दूर-परिसर केन्द्र के विकास का विवरण:

(क)	भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक सुविधायें एवं अधोसंरचनात्मक सुविधायें	
(ख)	उपकरणों को प्राप्त करने हेतु योजना	
(ग)	आगामी पांच वर्षों के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा	

- (7) दूर-परिसर केन्द्र में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण:

टीपः— केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा सकेगा, जिनकी अनुमति का उल्लेख उक्त अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (7) में हुआ है तथा अध्यादेश पारित हो चुका है एवं केन्द्रीय विनियामक निकाय (यदि आवश्यक हो) से अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो।

- (8) स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए दूर-परिसर केन्द्र में प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यचर्या तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियों का विवरण:

- (9) उपलब्ध या प्रस्तावित अन्य सुविधायें:

(क)	छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास की उपलब्धता	
(ख)	खेल मैदान	
(ग)	राष्ट्रीय कैंडेट कोर, स्काउट एवं गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना	

- (10) प्रस्तावित दूर-परिसर केन्द्र की आवश्यकता एवं क्षेत्राधिकार:

- (11) आवेदन शुल्क का विवरण:

(क)	रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि	
(ख)	उस बैंक का नाम, जिसने डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी किया है।	
(ग)	डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक	
(घ)	डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे की ओर प्रायोजक निकाय का नाम तथा विश्वविद्यालय का नाम का उल्लेख करें।	

उपरोक्तानुसार (प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से (विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख करें) के दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्वारा आवेदन प्रस्तुत है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) मुझे (कुलसचिव का नाम) को प्रायोजक निकाय (प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ख) प्रायोजक निकाय ने यह संकल्प किया है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) में निर्मित समस्त उपबंधों तथा ऐसे अन्य नियम, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हैं, का पालन किया है और उन निर्देशों का भी पालन करने का संकल्प किया है जो कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किया जायेगा (संकल्प की प्रति अनुलग्नक के रूप में लगाई जाये)।

संलग्नकों की सूची:

स्थान:.....

दिनांक:

हस्ताक्षर
कुलसचिव का नाम.....
विश्वविद्यालय का नाम

दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :-

(1)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता

अनुलग्नक-ख

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक

रायपुर,

दिनांक

दूर-परिसर केन्द्र स्थापना हेतु आशय पत्र

विषय: (विश्वविद्यालय का नाम) को दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना के संदर्भ में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र स्थापना) नियम, 2020 के नियम 6 के अधीन दूर-परिसर केन्द्र की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी करने हेतु।

संदर्भ: छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक क्रमांक दिनांक

.....(विश्वविद्यालय का नाम) ने दूर-परिसर केन्द्र (दूर-परिसर केन्द्र का पूरा विवरण) की स्थापना हेतु प्रस्ताव दिया है। मूल्यांकन समिति की अनुशंसा की प्राप्ति पर विचारोपरान्त छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग..... (विश्वविद्यालय का नाम) को (दूर-परिसर केन्द्र का पूरा पता) में दूर-परिसर केन्द्र स्थापना हेतु नीचे दर्शाये शर्तों के साथ आशय पत्र जारी करता है:-

- (एक) निजी विश्वविद्यालय, शपथपत्र के प्ररूप में यह अभिवचन देगा कि वह छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 के नियम 4 एवं नियम 7 का अनुपालन करेगा।
- (दो) निजी विश्वविद्यालय, अभिवचन में यह भी उल्लेख करेगा कि दूर-परिसर केन्द्र में उक्त अधिनियम की अनुसूची में अनुमोदित तथा परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा।
- (तीन) निजी विश्वविद्यालय, इस आशय पत्र के जारी होने के उपरान्त एक वर्ष की कालावधि के भीतर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 के नियम 7 के अनुसार अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (चार) इस आशय पत्र को विनियामक आयोग द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए निरस्त किया जा सकेगा तथा विश्वविद्यालय को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा।

इस आशय पत्र को राज्य शासन के सम्यक् अनुमोदन से जारी किया गया है।

सचिव
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग, रायपुर

अनुलग्नक-ग

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
रायपुर (छत्तीसगढ़)

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक

क्र. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन अनुसूची के सरल क्रमांक में उल्लिखित (विश्वविद्यालय का नाम) को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 के नियम 9 के प्रावधानानुसार (केन्द्र परिसर का नाम एवं पता) में दूर-परिसर केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह अनुमति, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक क्रमांक दिनांक के परिपालन में जारी की जाती है।

3. इस अधिसूचना को राज्य शासन के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् जारी किया गया है।

सचिव
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 18 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 20-1/2017/38-2 (पार्ट)।— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी.एल.सांकला, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 18th September 2020

NOTIFICATION

No. F 20-1/2017/38-2 (Part).— In exercise of powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government, hereby, makes the following rules relating to establishment of the Campus Centre and Study Centre by Private Universities of State, namely:-

RULES

PART – I: PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment of Off-Campus Centre and Study Centre) Rules, 2020.
 - (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005);
 - (b) “Main Campus” means Main Campus of the Private University situated in Chhattisgarh Consisting Minimum Five University teaching departments or schools of studies and where Vice Chancellor and Registrar reside and also main office of the University is located;
 - (c) “Off – Campus Centre” means centre of a Private University established outside the main Campus but within the State operated and maintained as its constituent unit;
 - (d) “Private University” Means a Private University established and incorporated under the said Act ;
 - (e) “Regulatory Body” means a Central or a State Regulatory Body established by the Central or State Government for laying down norms and conditions for ensuring standards of higher education;
 - (f) “Regulatory Commission” means, the Regulatory Commission established under section 36 of the said Act ;
 - (g) “Rules” means Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules 2005;
 - (h) “Study Centre” means centre established in the State and maintained by the private university for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education which implies imparting education by combination of any two or more means of communication, namely, broadcasting, telecasting, correspondence course, seminars, contact programmes and any other such methodology.
 - (2) Words or Expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

PART – II : OFF – CAMPUS CENTRE

3. **Establishment and Operation.**- (1) A Private University, after completing 5 years of establishment and development of main campus, intending to establish Off – Campus Centre shall submit the application in Annexure-A to the Regulatory Commission.
 - (2) The Sponsoring body shall pass a resolution to establish off- campus centre and Application shall be signed by the Registrar.

- (3) Application fee of Rupees 5000/- (Rupees Five Thousand) shall be sent along with application through a crossed account payee draft in the name of “Chhattisgarh Private University Regulatory Commission” payable at Raipur.
4. **Conditions for establishment of Off-Campus Centre.-** (1) The University shall procure land as under:-
- 1.5 acres land in case the Off – Campus Centre is proposed to establish within the limit of Municipal Corporation of Raipur District.
 - 2.5 acres of land in case the Off – Campus Centre is proposed to be establish at any other place.
- (2) It shall make available a minimum built-up area of 10,000 Square Feet for administrative and academic purpose.
- (3) The Private University shall follow the rules and conditions prescribed by the University Grants Commission and other Regulatory Bodies, from time to time.
5. **Evaluation of the Proposal.-** (1) The Regulatory Commission shall, on receipt of the application for establishment of Off-Campus Centre shall make scrutiny as deem necessary regarding the facts as mentioned.
- (2) In course of evaluation of proposal/application, the Regulatory Commission shall take into consideration, the followings:-
- Contribution of the University in the field of education and research, where the Off – Centre Campus is proposed.
 - Suitable resources to be arranged.
6. **Letter of Intent.-** After inquiry and evaluation as provided in rule 5, if the Regulatory Commission is satisfied that right to established Off-Campus Centre, may be given to the University, the Regulatory Commission may issue Letter of Intent to the University to establish Off-Campus Centre with a prior approval of the State Government.
7. **Submission with Compliance Report.-** (1) The University shall fulfil all essential conditions within a period of one year from issue of the Letter of Intent.
- (2) The University shall submit following fees along with the Compliance Report to the Regulatory Commission:-
- Rupees Five Lac, in case Off-Campus Centre is to be established in a Scheduled Area of the State.
 - Rupees Ten Lac, in other cases.
8. **Verification and Inspection on Compliance Report.-** (1) After receiving the Compliance Report as per provision of rule 7, the Regulatory Commission shall constitute a Committee which shall examine the factual data including spot inspection.
- (2) The Regulatory Commission, after the examination of Compliance Report under sub-rule (1), it finds any shortcomings in it, it may direct the University to remove expeditiously the identified shortcomings.
- (3) After receiving information regarding the removal of identified short comings, the Inspection Committee shall submit its recommendations to the Regulatory Commission.
9. **Notification regarding Establishment.-** The Regulatory Commission, if satisfied with recommendation of Inspection Committee, may issue notification regarding the establishment of Off-Campus Centre with a prior approval of the State Government.
10. **Regarding the amount of Fee. -** The Private University shall ensure with Compliance of rule 9 of said Rules.
11. **Special Powers of the Regulatory Commission in Certain Circumstances.-** (1) After the establishment of Off-Campus Centre, it appears to the Regulatory Commission that operation of the Off-Campus Centre is not in accordance to the Act, Statutes, Ordinances and Regulations or situation of financial mismanagement and mal-administration has arisen, it shall issue show-cause notice of 45 days to such private University with intent that why an order shall not be made that the Off-Campus Centre establishment notification be cancelled.

(2) If the Regulatory Commission, on receipt of the reply of the Private University, in respect of the notice issued under sub-rule (1) of this rule is satisfied that there is a prima-facie case of mismanagement, mal-administration or violation of any provision of the Act or any provision made under this Act or direction issued there under, it shall make an order of such inquiry as it may consider necessary.

(3) If, the Regulatory Commission, on receipt of Enquiry Report, is satisfied that owing to financial mismanagement and mal-administration, such situation has arisen that to conduct the Off Campus is not secured, it shall cancel the notification of establishment of the Off-Campus Centre.

(4) The courses conducted at the Off-Campus Centre shall be transferred to the main Campus as the order issued under sub-rule (3) of this rule.

(5) An appeal against the order issued under sub-rule (3) of this rule may be preferred before the Visitor and the decision of the Visitor, upon the appeal, shall be final.

12. **Regularisation of Action taken by the Regulatory Commission.-** Any permission or order issued by the Regulatory Commission prior to enforcement of these Rules shall be deemed to have been issued under these rules:

Provided that the concerned University shall have to comply with the provisions mentioned in rule 4 and sub-rule (2) of rule 7 within prescribed time limit by the Regulatory Commission:

Provided further that the Regulatory Commission may pass an order to close the existing Off-Campus Centre, if provision mentioned in first proviso is not complied by the University.

PART – III : STUDY CENTRE

13. **Establishment of Study Centre.-** (1) Study Centre may be established by a Private University in reference to distance education.

(2) A private University may get permission to conduct the distance education as prescribed in University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulation, 2017 made by the University Grants Commission.

(3) A Private University may get approval to establish Study Centre from the Regulatory Commission after the permission obtained by the University Grants Commission as referred to in sub-rule (2) of this rule.

(4) A Private University shall deposit fees at the rate of Rupees 50,000/- (Fifty thousand rupees) per study centre per annum to the Regulatory Commission.

(5) The Private University shall ensure to comply with the provisions of rule 10 of these rules.

14. **Regarding Degrees, Diplomas and Certificate.-** (1) A private University shall conduct the courses for only those degrees, diplomas and certificates for which the permission has been obtained from the University Grant Commission or any other competent authority.

(2) A private University shall ensure to comply with the provisions of clause (m) of sub-section (4) of Section 7 of the said Act.

PART – IV : MISCELLANEOUS

15. **Relaxation of rules.-** On such matters which are not covered under these rules, the State Government may take the decision on the basis of recommendation of the Regulatory Commission which is supported by the principles of equity.

16. **Laying the rules on the Table of the legislative Assembly.-** These rules shall be laid down, as soon as may be after it is made or issued, on the table of the State Legislative Assembly.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G.L. SANKLA, Deputy Secretary.

ANNEXURE-A

To,

The Secretary,
Chhattisgarh Private University Regulatory Commission,
Raipur, Chhattisgarh.

- (1) Name of University with Address, Fax and E-mail :
- (2) Photocopy of Notification of Establishment of the University :
- (3) Complete address of Off-Campus of the University, where Off Campus Centre is to be established :
- (4) Whether proposed Off-Campus Centre of the University to be established is within the Municipal Corporation limits of Raipur? If yes then certificate from competent authority :
- (5) Details about the land for the use of Off-Campus Centre :

1	Ownership or lease of the land (with necessary proof)	
2	Area of the Land	
3	From whom the Land will be acquired	
4	Financial Arrangement to acquire the land	

- (6) Details of Off-Campus Development before the commencement of Off-Campus Centre :

(a)	Construction of buildings, other structural amenities and infrastructural facilities	
(b)	Plan for procurement of equipment's	
(c)	Outline of phase-wise programme for the upcoming 5 years	

- (7) Details of proposed courses at Off-Campus Centre :

Note: Only those courses may be started for which permission is mentioned in column (7) of Schedule of the said Act and Ordinances have been passed and permission obtained from Central Regulatory Body (If essential).

- (8) Details of Curriculums and special teaching, training or research activities to started at Off-Campus Centre considering local requirement:
- (9) Existed or proposed other facilities :

(a)	Availability of Hostel's for Boys and Girls	
(b)	Play Ground	
(c)	National Cadet Core, Scout and Guide, National Service Scheme	

- (10) Necessity and justification of proposed Off-Campus Centre :

- (11) Details of Application fee:

(a)	Amount in the Crossed Demand Draft	
(b)	Name of the Bank, Which has issued the Demand Draft	
(c)	Number and Date of the Demand Draft	
(d)	Mention the name of sponsoring body and name of the University on the reserve side of the University	

The above application for establishment of Off Campus Centre of _____ (mention name of the University) under the provisions of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) and Chhattisgarh Private University (Establishment of Off-Campus Centre and Study Centre) Rules, 2020 is submitted, hereby, on behalf of _____ (name of the Sponsoring Body).

I certify that :-

- (a) I _____, (Name of the Registrar), am Registrar duly authorized to submit the application on behalf of the Sponsoring Body, _____ (name of the Sponsoring Body).
- (b) The Sponsoring Body has Resolved to follow all provisions made in the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act, 2005 (no. 13 of 2005) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, from time to time. (Attach a copy of the Resolution as Annexure).

List of the Annexure:

Place :

Date :

Signature _____

Name of Registrar _____

Name of the University _____

Signature, name and address of 2 witnesses:-

(1)	Signature :	
	Name :	
	Address :	

(2)	Signature :	
	Name :	
	Address :	

ANNEXURE - B

Chhattisgarh Private University Regulatory Commission,
Raipur (Chhattisgarh)

No. _____

Raipur, Dated _____

LETTER OF INTENT FOR ESTABLISHMENT OF OFF CAMPUS CENTRE.

Subject: Letter of Intent issued to _____ (Name of University) for establishment of Off-Campus Centre under Rule 6 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment of Off-Campus Centre and Study Centre) Rule, 2020 made under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005 (No. 13 of 2005).

Ref.: Meeting No. _____ Dated _____ of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission.

_____ (name of the University) has put up a proposal for the establishment of Off-Campus Centre at _____ (full details of Off-Campus Centre), on getting recommendation of the Evaluation Committee and after consideration, the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission is issuing this Letter of Intent to _____ (name of the University) to establish Off-Campus Centre at _____ (full address of Off-Campus Centre) with conditions as below:-

- The Private University shall give an undertaking in form of an affidavit that it shall comply with Rule 4 and Rule 7 of Chhattisgarh Private Universities (Off-Campus Centre and Study Centre) Rules, 2020.
- The Private University shall also mention in undertaking that it will run only those courses in the Off campus Centre which are approved in the schedule of the said Act and in accordance with the Statutes and Ordinances.
- The Private University shall submit Compliance Report within a period of one year after issue of Letter of Intent in accordance with Rule 7 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment of Off-Campus Centre and study Centre) Rules, 2020.

- (iv) This letter of Intent may be cancelled by the Regulatory Commission by mentioning the reasons thereof and in this regard the University shall have no right.

This Letter of Intent is issued with due approval of the State Government.

Secretary
Chhattisgarh Private Universities
Regulatory Commission, Raipur

ANNEXURE - C

Chhattisgarh Private University Regulatory Commission,
Raipur (Chhattisgarh)

NOTIFICATION

Raipur, Date _____

No. _____. – The permission is granted to _____ (Name of the University) which is mentioned in the Schedule as serial number _____, under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act, 2005, to established Off-Centre Campus at _____ (Name and address of Centre Campus) as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 7 of Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act 2005 and Rule 9 of Chhattisgarh Private University (Establishment of Off-Campus Centre and Study Centre) Rules, 2020.

2. This permission is issued in Compliance of Meeting No. _____ Dated _____ of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission.
3. This Notification is issued after due approval of the State Government.

Secretary
Chhattisgarh Private Universities
Regulatory Commission, Raipur